भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र संख्या/Circular No. 21 / 2024

यह देखा गया है कि अनुमोदन समिति की बैठक और प्राधिकरण की बैठक के एजेंडे को बैठक से केवल एक दिन पहले सदस्यों के साथ साझा किया जाता है, जिससे उक्त बैठकों का सुचारू संचालन प्रभावित होता है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त बैठकों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का पालन किया जाएगा:-

(i) अनुमोदन समिति की बैठक की तिथि - प्रत्येक माह की 25 तारीख को प्रातः 11.30 बजे, प्राधिकरण की बैठक उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे होगी (यदि 25 तारीख को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर)।

(ii) ट्रेड से एजेंडा की स्वीकृति - बैठक के महीने की 10 तारीख को या उससे पहले।

(iii) एजेंडा को वेबसाइट पर अपलोड करना तथा सभी सदस्यों के साथ साझा करना - प्रत्येक माह की 20 तारीख को (यूएसी मॉड्यूल ऑफ राइज सॉफ्टवेयर (ईआरपी) के माध्यम से केवल एजेंडा ही स्वीकार्य है)

(iv) एजेंडे पर मसौदा निर्णय एजेंडा और एजेंडा नोट के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। समिति आवश्यकतानुसार निर्णय में संशोधन अथवा पुनर्लेखन का निर्देश देगी।

(v) बैठक का कार्यवृत्त- प्रत्येक माह की 28 तारीख

(vi) कार्रवाई - अगले महीने की 3 तारीख।

3. अनुमोदन समिति की बैठक के लिए एसपीओसी सहायक विकास आयुक्त/सीप्ज़ (वर्तमान में, श्रीमती रेखा नायर) होंगे और प्राधिकरण की बैठक के लिए सहायक विकास आयुक्त/संपदा (वर्तमान में, श्री मनीष कुमार) होंगे।

4. इन बैठकों के सुचारू संचालन के पर्यवेक्षण के लिए उप विकास आयुक्त समग्र प्रभारी होंगे।

It is observed that agendas for Approval Committee Meeting and Authority meeting are shared with Members only one day prior to the meeting which affects the smooth functioning of the said meetings.

2. It is, therefore, decided that following schedule to be followed for the said meetings:-

(i) Date of Approval Committee meeting- 25th of every month at 11.30 am. Authority meeting on same day at 3.30 pm. (Next working day in case, 25th is a holiday).

(ii) Acceptance of Agenda from Trade- On or before 10th of the month of the meeting.

(iii) Uploading of Agenda on website and sharing with all members- 20th of every month (only agenda through UAC Module of Rise Software (ERP) is acceptable).

(iv) Draft decision on agenda should be uploaded with agenda & agenda note. The committee will direct to amend or rewrite the decision as per the requirement.

(v) Minutes of the meeting- 28th of every month.

(vi) Action Taken -3rd of next month.

3. The SPOC for Approval Committee meeting shall be ADC/SEEPZ (at present, Mrs. Rekha Nair) and for Authority meeting shall be ADC/Estate(at present, Sh. Manish Kumar).

4. DDC will be overall incharge for supervision of smooth functioning of these meetings.

5. इसे विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

5. This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

28.08.24

(सी.पी.एस. चौहान/ C.P.S. Chauhan)
संयुक्त विकास आयुक्त/ Jt. Development Commissioner
सीप्ज़ – सेज़/ SEEPZ-SEZ

F.No. :SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-V/ 10539

दिनांक: 28.08.2024

प्रति/ To,

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी /All officers/Officials
2. विआका/संविआका/उविआका/ विआ/ DCO/JDCO/DDCO/SO
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर/Office Order file/register
4. सूचना पट्ट/ Notice Board
5. सीप्ज़-सेज़ वेबसाइट/ SEEPZ-SEZ Website